न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
6(ए) अपील वाद संख्या–166 / 2013
सरकार बनाम मुरली मनोहर ठाकुर

आदेश की कम संख्या और तारिख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित
30/12/2016	आदेश	

आदेश

उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

अनुमण्डल पदाधिकारी, बिरौल के पत्रांक–2581 दिनांक–27.08.2013 के द्वारा जमालपुर थाना कांड संख्या–45 / 2013 दिनांक–29.06.2013 में मुरली मनोहर ठाकुर जन वितरण प्रणाली विक्रेता पंचायत खैसा जमालपुर, प्रखण्ड–किरतपुर दिनांक–27.06.2013 को बिहार राज्य खाद्य निगम के घनश्यामपुर गोदाम से दिसम्बर,2012 के बी0पी0एल0 मद का 40 क्विं0 गेहूँ फरवरी,2013 के बी0पी0एल0 मद के 40 क्विं0 गेहुँ एवं अन्त्योदय मद का 15 क्विं0 गेहूँ, कुल–134 क्विं0 32 किलो गेहूँ तीन ट्रेक्टर पर लादकर ले जा रहा था, जिसे वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर थानाध्यक्ष, जमालपुर द्वारा पकड़ा गया। उक्त खाद्यान्न को जप्त कर प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी, किरतपुर द्वारा थाना में प्राथमिकी मुरली मनोहर ठाकुर सहायक गोदाम प्रबंधक अमित कुमार झा तथा रात्रि प्रहरी नुनु मंडल के विरूद्ध दर्ज की गयी। जप्त खाद्यान्न को गुणवत्ता नष्ट होने की सम्भावना को देखते हुए बिक्री करने की अनुशंसा की गयी थी। जिसके आलोक में दिनांक– 13.09.2013 द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, बिरौल को आदेश दिया गया कि जप्त खाद्यान्न को बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय योजना के लाभुको के बीच सरकारी दर पर नियमानुसार वितरण करवाकर प्राप्त राशि अनुमण्डल नजारत में जमा करेंगे एवं राशि जमा के संबंध में प्रतिवेदन एक पक्ष के अंदर न्यायालय में भेजना सुनिश्चित करेगें । साथ ही विपक्षी सदस्यों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत किया गया। जिसे अनुपालन में अनुमण्डल पदाधिकारी, बिरौल के पत्रांक–3576 दिनांक–03.12.2013 से नजारत में जमा राशि मो0–58008.00 रूपये नाजिर रसीद संख्या– 552969 दिनांक–03.12.2013 प्राप्त है। विपक्षी की ओर से कारण पृच्छा समर्पित किया गया है, जिसमें विपक्षी ने लगाये गये आरोप को गलत बताया है।

विद्वान् विशेष लोक अभियोजक का कथन है कि इतनी वड़ी मात्रा में खाद्यान्न का जप्त होना कालाबजारी से संबंधित है तथा खाद्यान्न से प्राप्त राशि को राज्यसात करने का अनुरोध करते हैं।

अभिलेख अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत खाद्यान्न को जप्त कर प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी, किरतपुर द्वारा थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया है। उक्त आरोप के परिप्रेक्ष्य में विपक्षी के द्वारा मात्र प्रतिवाद किया गया है। अभिलेख पर ऐसा कोई प्रमाणिक साक्ष्य विपक्षी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो उनके कथन को सम्पुष्ट करता है।

अतएव सम्यक रूप से विचारोपरांत जमालपुर थाना कांड संख्या–45 / 2013 में जप्त खाद्यान्न के बिक्री के पश्चात् प्राप्त राशि मो0–58008 / – (अठांवन हजार आठ) रूपये राज्यसात् किया जाता है। अनुमण्डल पदाधिकारी, बिरौल को आदेश दिया जाता है कि जमालपुर थाना कांड संख्या–45 / 2013 में जप्त खाद्यान्न के बिक्री पश्चात् प्राप्त राशि मो0–58008 (अंठावन हजार आठ) रूपये विहित सरकारी शीर्ष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, बिरौल को भेजें। उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।

प्रतिलिपि :- आदेश की प्रति के साथ अनुमण्डल पदाधिकारी, बिरौल, दरभंगा को अनुपालनार्थ प्रेषित।